

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 50

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़		10.00	2.61	12.61	10.00	2.61	12.61	30.00	2.65	32.65	
		
		10.00	2.61	12.61	10.00	2.61	12.61	30.00	2.65	32.65	
1.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	2.22	2.22	...	2.22	2.22	0.60	2.86	
2.	अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र को अंशदान	2852	...	0.39	0.39	...	0.39	0.39	...	0.39	
3.	के.स.क्षे.के उपक्रमों के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन	2852	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	26.40	...	26.40
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
कुल जोड़		10.00	2.61	12.61	10.00	2.61	12.61	30.00	2.65	32.65	
ग. आयोजना परिव्यय		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	0.60	...	0.60	
2.	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	26.40	...	26.40
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
जोड़		10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00	

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय और नवरत्न और लघु-रत्न सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए खोज समिति के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और साफ्टवेयरों का अधिग्रहण और विकास, साफ्टवेयर का रखरखाव शामिल है, के लिए धनराशि की व्यवस्था भी की गई है।

2. **विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान:** इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम विकास केन्द्र, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता के लिए भारत के अंशदान

तथा उत्कृष्ट उत्पादन हेतु सरकारी उद्यमों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

3. **के.स.क्षे.के उपक्रमों के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन:** इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियों की वृद्धि करने आदि की लागत के लिए प्रावधान है; और इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम के अधीन परियोजना को मानीटर करने के लिए निधि की भी व्यवस्था है।

4. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।